राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1907/2025

अनुसुईया

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री विकास यादव, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी मांडावा, जिला झुन्झुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संगीता कुमारी का स्थानान्तरण क्रम संख्या–170 पर पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर से सीएचसी मांडावा, झुंझुनू में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण क्रम संख्या–171 पर सीएचसी मांडावा, झुंझुनू से पीबीएम चिकिल्सालय, बीकानेर निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इसी आलोच्य आदेश में क्रम संख्या–546 पर निजी प्रत्यर्थी संगीता कुमारी का स्थानान्तरण पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर से सीएचसी मुकुन्दगढ में दिनेश पुनिया के स्थान पर किया गया है और दिनेश पुनिया का स्थानांतरण मुकुन्दगढ से पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर में संगीता कुमारी के स्थान पर किया गया है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संगीता कुमारी के स्थान पर पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर में दो का स्थानान्तरण किया गया है।

ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) में नोट संख्या–5 में यह अंकित किया गया है कि ''किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।'' अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का जिस स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, वहां एक अन्य कार्मिक दिनेश पुनिया का भी स्थानान्तरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष